कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 2255 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 6 अक्टूबर, 2018

:: आदेश ::

विधान सभा आम निर्वाचन-2018 हेतु कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । चुनाव के दौरान सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम हेतु पूर्व में शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है, उसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही विभीन्न राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार की सरगर्मी तेज हो गई है । इनके द्वारा शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाएं जाते है, विद्युत तथा टेलीफोन के खंबों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडिया, डंडे, बैनर लगाये जाते है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरुप विकृत हो जाता है । पूर्व जारी आदेश में इन पर नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 की छाया प्रति सर्वसंबंधित विभागों को प्रेषित की गई है, जिसमें इस अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा ।

म0प्र0 सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभीन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए इन्दौर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में "लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से गठित किया जाता है । इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे । यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता स्थानीय एस0डी0एम0/नगर पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार-टी0आई0/थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य

कलेक्टर
जिला इन्दौर

करेंगा ।" इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित् करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक(पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावें । इस दस्ते को नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में अनुभागवार एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे जिस पर "लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता" का एक बैनर लगा होना चाहिए । लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू, चूना,कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायी जावे । यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक एस0डी0एम0/नगर पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार-टी0आई0/थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा ।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे ।

थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे । विरूपण समाप्त किये जाने में होने वाले व्यय को राजनैतिक दल, संस्था अथवा विरूपण करने वाले व्यक्तियों से तत्काल वसूल किया जावेगा तथा वसूल की गई राशि की जानकारी प्रतिदिन लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी को विहित प्रारूप में सूचित किया जावेगा ।

संबंधित क्षेत्र के एस0डी0एम0/एस0डी0ओ0(राजस्व) एवं नगर पुलिस अधीक्षक/एस0डी0ओ0(पी) की लोक सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् कराने की मुख्यतः जवाबदारी होगी ।

थाना प्रभारी उपरोक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सम्बन्धी साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेंजेगे ।

(निशांत वरवड़े)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

URGENT

पृ0क्रमांक/ २२५५ /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 6 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
4. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
6. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर.
8. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर/इन्दौर/महू/देपालपुर/हातोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा संबंधित पटवारियों की ड्यूटी लगाने हेतु ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/ग्रामीण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
13. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
14. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
15. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
16. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
17. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र0-1/2/ई एण्ड एम/रा0रा0, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, इन्दौर/महू/सांवेर/देपालपुर की ओर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने हेतु ।
19. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
20. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
21. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
22. थाना प्रभारी, थाना ....जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ.

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.